अध्याय 2: मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता

2.1 राजस्व संग्रहण की प्रवृत्ति

एक प्रभावी कर प्रशासन में विशेषकर प्रमुख क्षेत्रों में पूर्ण सेनवेट उपयोग सहित राजस्व संग्रहण में रूख विश्लेषण के लिए स्थापित प्रणाली शामिल होगी। हमने कमिश्नरियों से ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में किए गए ऐसे किसी विश्लेषण के विवरण उपलब्ध कराने के लिए हमने अनुरोध (नवम्बर 2013) किया। चुनी गई 40 कमिश्नरियों[6] में 39 ने सूचित किया कि उन्होंने सेक्टर का कोई विश्लेषण नहीं किया था। गुड़गांव कमिश्नरी ने सूचित किया कि ऑटोमोबाइल उद्योग और ऑटोमोटिव घटकों का क्षेत्रीय विश्लेषण निमयित रूप से किया जा रहा है।

तालिका संख्या 1

ऑटोमोटिव सेक्टर के संबंध में राजस्व संग्रहण

(राशि करोड़ रूपए में)

वर्ष	यूनिटों की संख्या	पीएलए के माध्यम से प्रदत्त शुल्क	सेनवेट के माध्यम से प्रदत्त शुल्क	कुल प्रदत्त शुल्क	पीएलए से सेनवेट की प्रतिशतता
2010-11	2,610	4,280.85	15,414.94	19,695.79	360.09
2011-12	3,018	5,184.13	20,228.60	25,412.73	390.20
2012-13	3,247	6,942.44	24,451.77	31,394.21	352.21

स्रोत: 34 कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आंकडे।

चौंतिस कमिशनरियों[7] से संग्रहीत डाटा इस सेक्टर से आठ कमिश्नरियों[8] में 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान और दस कमिशनरियों[9] में 2011-

[6] अहमदाबाद-II औरंगाबाद, बेंगलुरू-एलटीयू, बेंगलुरू-I, भोपाल, भुवनेश्वर-I, भुवनेश्वर-II, कालीकट, चेन्नई-एलटीयू, चेन्नई-II, चेन्नई-III, चेन्नई-IV, दमन, दिल्ली-एलटीयू, दिल्ली-I, दिल्ली-II, गाजियाबाद, गुड़गांव, हल्दिया, हैदराबाद-I, हैदाराबाद-IV, इंदौर, जयपुर-I, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता-II, कोलकाता-IV, कोलकाता-VI, लुधियाना, मरेठ-I, मुंबई-एलटीयू, नागपुर, नासिक, नोएडा, पुणे-I, रायपुर, राजकोट, तिरूवेनन्तपुरम, वडोदरा-II और विशाखपट्टनम-II,

[7] अहमदाबाद-II, औरंगाबाद, बेंगलुरू-एलटीयू, बेंगलुरू-I, भोपाल, भुवनेश्वर-I, भुवनेश्वर-II, कालीकट, चेन्नई-एलटीयू, चेन्नई-II, चेन्नई-III, चेन्नई-IV, दमन, दिल्ली-एलटीयू, दिल्ली-I, दिल्ली-II, गुड़गांव, हल्दिया, हैदाराबाद-I, हैदराबाद-IV, इंदौर, जयपुर-I, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता-II, कोलकाता-IV, कोलकाता-VI, लुधियाना, पुणे-I, रायपुर, राजकोट, तिरूवनन्तपुरम, वडोदरा-II और विशाखपट्टनम-II

[8] भुवनेश्वर-II, दिल्ली-II, दिल्ली-एलटीयू, गुड़गांव, जयपुर-I, कोलकाता-IV, कोलकाता-VI और तिरूवनन्तपुरम

[9] अहमदाबाद-II, भुवनेश्वर-I, भुवनेश्वर-II, कालीकट, दिल्ली-एलटीयू, हैदराबाद-I, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता-II और वड़ोदरा-II

12 की तुलना में 2012-13 के दौरान गिरावट दर्शाते थे। छः कमिश्नरियों[10] को अभी सूचना भेजनी है।

2.2 विवरणियों एंव निर्धारिणों की संवीक्षा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12(1) के अनुसार प्रत्येक निर्धारिती द्वारा एक मासिक विवरणी (फार्म ई आर-1) प्रस्तुत की जानी है जिसमें अन्य के साथ माल के उत्पादन और निष्कासन के विवरण दर्शाने हैं। यह विवरणी विभाग द्वारा संवीक्षा के अध्यधीन होती है। विवरणियों की प्रारम्भिक संवीक्षा कर प्रयोजन शुल्क संगणना की गणितीय शुद्धता, पूर्णता (स्थाई खाता संख्या (पीएएन), मदों का विवरण, युनिट आदि का पंजीकरण विवरण), सामयितकता (विवरणी का समय से प्रस्तुत करना और शुल्क का समय पर भुगतान) सुनिश्चित करना तथा नॉन-फाइलर्स और स्टाप फाइलर्स की पहचान करना है। चिन्हित जोखिमों के आधार पर चयनित विवरणियों की किए गए निर्धारण की शुद्धता (वर्गीकरण, मूल्यांकन और सेनवेट क्रेडिट की शुद्धता) सुनिश्चित करने के लिए विस्तार से संवीक्षा की जाए। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12(2)(ए) के अनुसार प्रतिवर्ष व्यक्तिगत खाता लेखा (पीएलए)/ सेनवेट या साथ साथ दोनों के माध्यम से ` एक करोड़ अथवा उससे अधिक का भुगतान करने वाले निर्धारितियों द्वारा वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण (फार्म ई आर-4) प्रस्तुत किया जाता है। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9 ए (1) के अनुसार पीएलए/सेनवेट अथवा साथ-साथ दोनों के माध्यम से प्रतिवर्ष ` एक करोड़ या उससे अधिक का भुगतान करने वाले निर्धारितियों द्वारा प्रतिवर्ष प्रमुख प्रयोज्य सामग्री से संबंधित सूचना (फार्म ई आर-5) प्रस्तुत की जाती है। सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9 ए (3) के अनुसार पीएलए/सेनवेट अथवा साथ साथ दोनों के माध्यम से प्रतिवर्ष ` एक करोड़ या उससे अधिक का भुगतान करने वाले निर्धारितियों द्वारा प्रत्येक प्रमुख प्रयोज्य सामग्री की प्राप्ति और खपत की मासिक विवरणी (फार्म ई आर 6) प्रस्तुत की जानी है। नियम 12(2ए)(ए) के अनुसार विद्युत और प्रबलित सीमेंट कंकरीट की सहायता के बिना बीड़ी और माचिस के विनिर्माताओं को छोड़कर सभी निर्धारितियों द्वारा वार्षिक

[10] गाजियाबाद, मेरठ- I, मुंबई-एलटीयू, नागपुर, नासिक और नोएडा

प्रतिष्ठापित क्षमता से संबंधित वार्षिक विवरणी (फार्म ई आर 7) प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत निर्धारित विविरणी का नियत तारीख को अथवा उससे पहले प्रस्तुत न करना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों का उल्लंघन है। इसलिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 27 के अन्तर्गत शास्ति लगाई जाए।

लेखापरीक्षा ने चिन्हित कमिश्नरियों के अधीन चयनित रेजों से गत तीन वर्षों के दौरान उनको दाखिल ई आर-1, ई आर-4, ई आर-5, ई आर-6 और ई आर-7 विवरणियों पर डाटा भेजने के लिए अनुरोध किया ताकि यह आश्वासन मांगा जा सके कि विवरणियों और निर्धारिणों का संवीक्षा निष्पादन उचित रूप से किया गया है। उत्तर में, लेखापरीक्षा ने 39 कमिश्नरियों के अधीन (नागपुर को छोड़कर) रेंजो से डाटा प्राप्त किया। प्राप्त डॉटा का विश्लेषण निम्नवत दर्शाया गया है:-

2.2.1 ई आर-1 विवरणियाँ (माल के उत्पादन और हटाने तथा अन्य सुसंगत विवरण एवं सेनवेट क्रेडिट की मासिक विवरणी)

तालिका संख्या 2

ई आर-1 विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

(राशि लाख रूपए में)

वर्ष	**देय विवरणियाँ**	**प्राप्त विवरणियाँ**	**प्राप्त न हुई विवरणियाँ**	**नियत तारीख तक प्राप्त विवरणियाँ**	**नियत तारीख के बाद प्राप्त विवरणियाँ**	**शास्ति की गई राशि**	
						लगाई गई	**वसूल की गई**
2010-11	24,320	24,201	119	23,780	421	0.38	0.32
2011-12	28,423	28,338	85	27,901	437	1.35	1.00
2012-13	31,634	31,558	76	30,904	654	1.16	0.91

स्रोत: कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आंकडे।

हमने निम्नवत देखा;

- गुडगांव और नासिक कमिश्नरियों में वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के दौरान 280 ई आर-1 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी।

गुड़गांव कमिश्नरियों के संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

- जयपुर-1 और बेंगलुरू-I कमिश्नरियों में वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के दौरान क्रमश: 65 और 70 ई आर-1 विवरणियाँ नियत तारीख के बाद प्राप्त हुई थीं। तथापि, इनमें किसी भी मामले में शास्ति नहीं लगाई गई थी।

  जयपुर-1 कमिश्नरी के संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि 48 मामलों में निर्धारितियों द्वारा शास्तियां जमा की गई हैं। शेष मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं।

  बेंगलुरू-I कमिश्नरी के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि (अक्टूबर 2014) कि विलम्ब से फाइलिंग इरादतन जान बूझकर नहीं की गई थीं बल्कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के ऑटोमेशन (एसीईएस) में माप की मानक यूनिटों को उपलब्ध कराने में कमी के कारण थी।

- वर्ष 2010-11 और 2012-13 तक के दौरान प्राप्त 96 प्रतिशत विवरणियाँ प्रारम्भिक संवीक्षा के अध्यधीन थी और 3 प्रतिशत विवरणियाँ विस्तृत संवीक्षा के अध्यधीन थीं।

- 2010-11 से 2012-13 तक के दौरान केवल 7 कमिशनरियों[11] (चयनित 40 में से) ने विस्तृत संवीक्षा की।

चयनित रेजों में हमने नमूना विवरणियों की जांच में निम्नानुसार कमियां देखी:

(i) दिल्ली-एलटीयू कमिश्नरी में मै. कैपरो मारूती लिमिटेड मोटर वाहन पुर्जों के विनिर्माण में लगा है। हमने देखा कि जून-जुलाई 2012 और दिसम्बर 2012-जनवरी 2013 की ई आर-1 विवरणियों में तैयार माल की मात्रा के अंत शेष और अथशेष के बीच अन्तर थे। इसके अतिरिक्त, फरवरी और मार्च 2012 माह के दौरान सेनवेट क्रेडिट के अथ और अंत शेष के संबंध में ` 0.09 लाख कर अन्तर था।

हमने यह दिसम्बर 2013 में बताया।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती ने ` 0.21 लाख की शुल्क देयता जमा किया और क्रमश: ` 0.05 लाख और 0.04 लाख के ब्याज

[11] अहमदाबाद-II, बेंगलुरू-I, चेन्नई-II, चेन्न्ई-III, चेन्नई-IV, इंदौर और पुणे-I

सहित ` 0.09 लाख के सेनवेट क्रेडिट का विपर्पण किया।

(ii) मै. डेंसो हरियाणा प्रा. लि, गुड़गांव के ई आर-1 की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने मार्च और जून 2013 में अनुपूरक बीजकों के जारी करने के कारण प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर 18 प्रतिशत की बजाय 13 प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा किया।

हमने यह दिसम्बर 2013 में बताया।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती ने ` 0.10 लाख अदा कर दिया था।

(iii) तिरूवनन्तपुरम कमिश्नरी में मै. केरल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड की ई आर-1 विवरणियों और चालान फाइलों की संवीक्षा पर हमने देखा कि निर्धारिती ने 2012-13 के दौरान ` 9.07 लाख राशि की शुल्क देयता पूरी नहीं की थी।

हमने जनवरी 2014 में इसे बताया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्प्णी स्वीकार कर ली (अकटूबर 2014)।

2.2.2 ई आर-4 विवरणियाँ (वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण)

तालिका संख्या 3

ई आर-4 विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

(राशि लाख रूपए में)

वर्ष	देय विवरणियाँ	प्राप्त विवरणियाँ	अप्राप्त विवरणियाँ	नियत तारीख तक प्राप्त विवरणियाँ	नियत तारीख के बाद प्राप्त विवरणियाँ	शास्ति की राशि	
						लगाई गई	वसूल की गई
2010-11	737	649	88	615	34	0.23	0.23
2011-12	903	789	114	759	30	0.30	0.30
2012-13	1,049	877	172	832	45	0.05	0.05

स्रोत: कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आंकड़े।

हमने निम्नानुसार देखा;

- 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान लुधियाना और जमशेदपुर कमिश्नरियों में क्रमश: 32 और 11 ई आर-4 विवरणियाँ निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त हुई थीं। तथापि, विभाग द्वारा कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी।

  लुधियाना कमिश्नरी के संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि मंडल प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया था।

- लुधियाना कमिश्नरी में 26 ई आर-4 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, विभाग ने इन मामलों में कोई शास्ति नहीं लगाई थी।

- औरंगाबाद कमिश्नरी में 132 ई आर-4 विवरणियाँ प्राप्ति नहीं हुई थीं। तथापि, विभाग ने ` 0.01 लाख की अल्प शास्ति लगाई।

  औरगांबाद कमिश्नरी ने बताया (अगस्त 2014) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002, के नियम 27 ई आर-4 विवरणियों के विलम्ब से दाखिल करने अथवा दखिल न करने के लिए अनिवार्य रूप से शास्ति लगाने के लिए प्रावधान नहीं करते हैं।

  हमने देखा कि विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के ऐसे मामलों में शास्ति लगाने वाले मात्र प्रावधान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 27 के अन्तर्गत उदग्राह्य रूप सामान्य शास्ति के लिए एक प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सेवा कर नियमावली के नियम 7 सी जिसमें विलम्ब शुल्क जब तक माफ नहीं किया गया के भुगतान की अपेक्षा है, के सदृश केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम में कोई प्रावधान नहीं है।

सिफारिश संख्या 1

मंत्रालय को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम में एक प्रावधान शामिल करना चाहिए जिसमें निर्धारितियों से एक निर्दिष्ट तारीख तक आवधिक विवरणियों को दाखिल करने की अपेक्षा वाले प्रावधानों के अननुपालन के मामले में विलम्ब शुल्क अदा करने (जब तक पर्याप्त कारण दर्शाते हुए माफी न दी गई है।) के लिए अपेक्षा हो।

हमने चयनित रेजों में नमूना विवरणियों की जांच पर निम्नलिखित कमियां भी देखीं।

दिल्ली-एलटीयू कमिश्नरी में मै. शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड मोटर वाहन पुर्जों के विनिर्माण में लगा है। हमने देखा कि 2010-11 से 2012-13 की ई आर-4 विवरणियों में प्रमुख प्रयोज्य सामग्री और तैयार माल की मात्रा के अंतशेष और अथशेष के बीच अंतर थे। इसके अतिरिक्त, उसी अवधि की ई आर-1 और ई आर-4 विवरणियों में सेनवेट क्रेडिट आंकड़े भी मेल नहीं खाते थे।

हमने यह दिसम्बर 2013 में बताया।

इसी प्रकार, दिल्ली-एलटीयू कमिश्नरी में मै. रसांदिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की ईआर-4 विवरणियों की संवीक्षा से पता चला कि 2011-12 की ई आर-4 विवरणी में जैसा दर्शाया गया, विनिर्मित माल (अर्थात् सीआर शीट, सीआर कॉल्स आदि) उपयुक्त कच्ची सामग्री की सभी मदों का अंत शेष 2012-13 की ई आर-4 विवरणी के अथशेष से मेल नहीं खाते थे।

हमने यह फरवरी 2014 में बताया।

पुणे-1 कमिश्नरी में मै. मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में 2011-12 और 2012-13 के लिए ई आर-4 विवरणियों के अभिलेखों की संवीक्षा करते समय हमने देखा कि तैयार माल के अथ और अंत स्टाक में अन्तर था जिसके परिणामस्वरूप गलत ई आर-4 विवरणियाँ दाखिल हुई।

हमने यह जनवरी 2014 में बताया।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि इन निर्धारितियों ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर संशोधित विवरणियाँ दाखिल की थी।

तथापि यह देखा गया कि संशोधित सेवा कर विवरणियों के दाखिल करने के लिए सेवा कर नियमावली के नियम 7 बी में प्रावधान विपरीत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12 के अन्तर्गत कोई संशोधित विवरणी दाखिल करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

सिफारिश संख्या 2

मंत्रालय को निर्धारित अवधि के अन्दर संशोधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियाँ दाखिल करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 में एक समर्थक प्रावधान शामिल करना चाहिए।

21 अक्टूबर 2014 को एक्जिट कान्फ्रेस के दौरान सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) सीबीईसी ने इंगित किया कि जीएसटी के शीघ्र लागू होने के कारण सीबीईसी इस समय अधिक परिवर्तनों को प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। सेवा कर के विपरीत निर्धारितियों के स्वरूप के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में ऐसे प्रावधान आवश्यक नहीं हो सकते हैं और सुस्थापित प्रणाली पहले ही है।

2.2.3 ई आर-5 विवरणियाँ (सेनवेट-प्रमुख प्रयोज्य सामग्री से संबंधित सूचना की वार्षिक विवरणी)

तालिका संख्या 4

ई आर-5 विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

(राशि लाख रूपए में)

वर्ष	देय विवरणियाँ	प्राप्त विवरणियाँ	अप्राप्त विवरणियाँ	नियत तारीख तक प्राप्त विवरणियाँ	नियत तारीख के बाद प्राप्त विवरणियाँ	शास्ति की राशि	
						लगाई गई	वसूल की गई
2010-11	697	545	152	516	29	0.05	0.05
2011-12	861	723	138	679	44	0.13	0.13
2012-13	988	772	216	734	38	0.11	0.11

स्रोत: कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आँकड़े।

हमने निम्नानुसार देखा;

- गुड़गांव लुधियाना और नासिक कमिश्नरियों में 63, 34 और 63 ई आर-5 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, विभाग ने निर्धारितियों पर कोई शास्ति नही लगाई।

  मंत्रालय ने गुड़गांव और लुधियाना कमिश्नरियों के संबंध में सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

- लुधियाना कमिश्नरी में 41 ई आर-5 विवरणियाँ नियत तारीख के बाद प्राप्त हुई थी। तथापि विभाग इन मामलों में कोई शास्ति नहीं लगाता है।

- औरंगाबाद कमिश्नरी में 146 ई आर-5 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि विभाग ने ` 0.02 लाख की अल्प शास्ति लगाई।

  औरंगबाद कमिश्नरी ने बताया (अगस्त 2014) कि नियम ई आर-5 विवरणियों के विलम्ब से दाखिल करने अथवा दाखिल न करने के लिए अनिवार्य शास्ति के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान नहीं करते है।

हम देखते है कि विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के ऐसे मामलों में शास्ति लगाने को शामिल करने वाला मात्र प्रावधान सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 15 ए के अन्तर्गत लगाने योग्य सामान्य शास्ति के लिए प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सेवा कर नियमावली के नियम 7 सी के सदृश्य सेनवेट क्रेडिट नियम में कोई प्रावधान नहीं है। जिसमें जब तक माफी नहीं दी जाती विलम्ब शुल्क के भुगतान की अपेक्षा हो।

हमें मंत्रालय की उत्तर की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2014)।

हम पैरा 2.2.2 में सिफारिश पुन: दोहराते हैं कि मंत्रालय को सुसंगत नियमों में एक प्रावधान शामिल करना चाहिए जिसमे निर्दिष्ट तारीख तक आवधिक विवरणियों के दाखिल करने वाले प्रावधानों के अननुपालन के मामलों में विलम्ब शुल्क (पर्याप्त कारण दर्शाते हुए जब तक माफी न दी जाये) अदा करने के लिए निर्धारती से अपेक्षा हो।

2.2.4 ई आर-6 विवरणियाँ (सेनवेट-प्रमुख प्रयोज्य सामग्री से संबंधित सूचना की मासिक विवरणी)

तालिका संख्या 5

ई आर-6 विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	देय विवरणियाँ	प्राप्त विवरणियाँ	अप्राप्त विवरणियाँ	नियत तारीख तक प्राप्त विवरणियाँ	नियत तारीख के बाद प्राप्त विवरणियाँ	शास्ति की राशि	
						लगाई गई	वसूल की गई
2010-11	8,217	7,215	1,002	7,015	200	0.12	0.12
2011-12	10,186	9,036	1,150	8,803	233	0.06	0.06
2012-13	11,768	10,265	1,503	9,967	298	0.26	0.26

स्रोत: कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आकड़े।

हमने निम्नानुसार देखा;

- गुड़गांव, लुधियाना और नासिक कमिश्नरियों में 1135 ई आर-6 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, विभाग ने इन मामलों में कोई शास्ति नहीं लगाई।

  मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि गुड़गाँव और लुधियाना कमिश्नरियों के संबंध में विभाग सुधारात्मक कार्यवाही कर रहा है।

- बेंगलुरू-। कमिश्नरी में 330 ई आर-6 विवरणियाँ प्राप्त नही हुई थी। तथापि, विभाग ने इन मामलों में कोई शास्ति नहीं लगाई।

  मंत्रालय ने सूचित किया (अकटूबर 2014) कि विभाग सुधारात्मक कार्रवाई कर रहा है।

- पुणे कमिश्नरी में 271 ई आर-6 विवरणियाँ नियत तारीख के बाद प्राप्त हुई थी। तथापि, विभाग ने ` 0.21 लाख की अल्प शास्ति लगाई।

  मंत्रालय ने सूचित किया (अकटूबर 2014) कि मंडल के वास्तविक आंकड़े के साथ मिलान पर लेट फाइलर 322 है और 30 मामलों में ` 0.24 लाख की शास्ति वसूल की गई है। शेष मामलों में सुधारात्मक कार्यावाही की जा रही है।

- जयपुर-। कमिश्नरी में 117 ई आर-6 विवरणियाँ नियत तारीख के बाद प्राप्त हुई थी। तथापि, विभाग ने कोई शास्ति नहीं लगाई।

- औरंगाबाद कमिश्नरी में 1,357 ई आर-6 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, विभाग ने ` 0.01 लाख की अल्प शास्ति लगाई।

  औरंगाबाद कमिश्नरी ने बताया (अगस्त 2014) कि ई आर-5 विवरणियों के विलम्ब से दाखिल करने अथवा दाखिल न करने के लिये अनिवार्य शास्ति के उद्ग्रहण के लिए नियमों में प्रावधान नहीं है।

हमने देखा कि मात्र प्रावधान जो विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के ऐसे मामलों में शास्ति लगाना शामिल करते हैं, सामान्य शास्ति के लिए प्रावधान हैं जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 27/सेनवेट क्रेडिट नियमावली के

नियम 15 ए के अन्तर्गत लगाने योग्य हैं। इसके अलावा सेवा कर नियमावली के नियम 7 सी के सदृश्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम/सेनवेट क्रेडिट नियम में कोई प्रावधान नहीं है जिसमें जब तक माफी नहीं दी जाती है, विलम्ब शुल्क के भुगतान की अपेक्षा हो।

हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2014)

जैसा पूर्व मे दर्शाया गया, लेखापरीक्षा की राय है कि मंत्रालय को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम में एक प्रावधान शामिल करना चाहिए जिसमें निर्दिष्ट तारीख तक आवधिक विवरणियो के दाखिल करने की अपेक्षा वाले प्रावधानों के अननुपालन के मामलों में विलम्ब शुल्क (पर्याप्त करण दर्शाते हुए जब तक माफ नहीं किए जाते हैं) अदा करने के लिए निर्धारिती से अपेक्षा हो।

2.2.5 ई आर-7 विवरणियाँ (वार्षिक स्थापित क्षमता विवरण)

तालिका संख्या 6

ई आर-7 विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

(राशि लाख रूपए में)

वर्ष	देय विवरणियाँ	प्राप्त विवरणियाँ	अप्राप्त विवरणियाँ	नियत तारीख तक प्राप्त विवरणियाँ	नियत तारीख के बाद प्राप्त विवरणियाँ	शास्ति की राशि	
						लगाई गई	वसूल की गई
2010-11	1,925	1,181	744	1,124	57	0.15	0.15
2011-12	2,299	1,411	888	1,358	53	0.13	0.13
2012-13	2,576	1,607	969	1,548	59	0.07	0.07

स्रोत: कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आंकडे।

हमने निम्नानुसार अवलोकन किया;

- गुड़गांव, लुधियाना और नासिक कमिश्नरियों में कुल 302 ई आर-7 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं। तथापि, विभाग ने इन मामलों में कोई शास्ति नहीं लगाई।

  गुड़गांव कमिश्नरी के संबंध में अपने उत्तर में मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि ई आर-7 विवरणी दाखिल करना अनिवार्य है। लुधियाना कमिश्नरी के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि विभाग सुधारात्मक कार्रवाई कर रहा हैं।

- पुणे-I और औरंगाबाद कमिश्नरियों में 1992 ई आर-7 विवरणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, विभाग ने ` 0.08 लाख की अल्प शास्ति लगाई।

  टिप्पणी स्वीकार करते हुए पुणे-I कमिश्नरियों ने बताया (जून 2014) कि दो मामलों में ` 0.24 लाख की शास्ति वसूल की गई है।

  औरंगाबाद कमिश्नरी ने बताया (अगस्त 2014) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमवली, 2002 के नियम 27 में ई आर-7 विवरणियों के विलम्ब से दाखिल करने अथवा दाखिल न करने के लिए अनिवार्यत: शास्ति लगाने के लिए प्रावधान नहीं है।

हमने देखा कि विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के ऐसे मामले में शास्ति लगाने वाला मात्र प्रावधान सामान्य शास्ति के लिए प्रावधान है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 27 के अन्तर्गत लगाने योग्य है। इसके अतिरिक्त सेवा कर नियमावली के नियम 7 सी के अनुरूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम में कोई प्रावधान नहीं है जिसमें जब तक माफी नहीं दी जाती है विलम्ब शुल्क के भुगतान की अपेक्षा हो।

हमे मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2014)।

जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दर्शाया गया मंत्रालय को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम में एक प्रावधान शामिल करना चाहिए जिसमें एक निर्दिष्ट तारीख तक आवधिक विवरणियों के दाखिल करने वाले प्रावधानों के अननुपालन के मामले में विलम्ब शुल्क (पर्याप्त कारण दर्शाते हुए जब तक माफी न दी गई हो) अदा करने के लिए निर्धारिती से अपेक्षा हो।

2.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियम पुस्तक, 2008 के पैराग्राफ 9 के अनुसार निर्धारिती मास्टर फाइल तैयार की जानी है और प्रत्येक कमिश्नरी में लेखापरीक्षा सेल द्वारा अद्यतन किया जाना है। उसमे अनुबंध 'ए' मे जैसा दर्शाया गया दस्तावेजों की एक सूची और अनुबंध 'बी' के अनुसार निर्धारित के विवरण प्रत्येक निर्धारिती मास्टर फाइल में रखा जाना है। नियम पुस्तक का पैराग्राफ 10.1.2 पुन: निम्नवत निर्धारित करता है:

(i) ` 3 करोड़ से अधिक वार्षिक राजस्व अदा करने वाली सभी युनिटों की प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा की जानी है।

(ii) ` 1 करोड़ और ` 3 करोड़ के बीच शुल्क अदा करने वाली यूनिटों की लेखापरीक्षा दो वर्ष में एक बार की जानी है।

(iii) ` एक करोड़ और ` 50 लाख के बीच शुल्क अदा करने वाली यूनिटों की लेखापरीक्षा पांच वर्ष मे एक बार की जानी है और

(iv) ` 50 लाख से कम राजस्व वाली युनिटों के 10 प्रतिशत की लेखापरीक्षा प्रति वर्ष की जानी हैं।

2.3.1 मास्टर फाइलों का सृजन

तीस कमिश्नरियों से प्राप्त मास्टर फाइलों के सृजन की स्थिति निम्नलिखित है। दस कमिश्नरियों[12] ने यह सुचना नहीं भेजी है।

तालिका संख्या 7

मास्टर फाइलों के सृजन की स्थिति

वर्ष	**युनिटों की संख्या जिनकी मास्टर फाइलें सृजित की गई**	**यूनिटों की संख्या जिनकी मास्टर फाइलें सृजित नहीं की गई**
2010-11	1,606	800
2011-12	1,908	1,018
2012-13	2,072	1,116

स्रोत: कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आकड़े।

हमने देखा कि लुधियाना, चेन्नई-III और जमशेदपुर कमिश्नरियों ने क्रमश: 241, 372 और 269 निर्धारितियों के लिए निर्धारिती मास्टर फाइलें सृजित नहीं थी। हमनें यह दिसम्बर 2013 और जनवरी 2014 के बीच बताया विभाग ने बतायां (मार्च 2014) कि निर्धारिती मास्टर फाइलों के अनुरक्षण न करने के लिए निम्नानुसार कारण बताए (i) गैर-आवश्यक युनिटों के संबंध में फाइलों का रखरखाव नहीं किया (ii) निर्धारितियों द्वारा डाटा उपलब्ध नहीं

[12] अहमदाबाद-II, बेंगलुरू-I, बेंगलुरू-एलटीयू, गाजियाबाद, मेरठ-I, मुंबई-एलटीयू, नागपुर, नासिक, नोएडा और वड़ोदरा-II

कराया गया (iii) वहां स्थाई लेखापरीक्षा सेल नहीं था (iv) जनशक्ति का आभाव आदि।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि चेन्न्ई-III के संबंध में मास्टर फाइलें अनिवार्य श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली यूनिटों के संबंध में तैयार किए गए हैं और अन्य सभी यूनटों के संबंध में मास्टर फाइलें शीघ्र तैयार की जाएंगी।

2.3.2 आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए यूनिटों का कवरेज

आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए यूनिटों के कवरेज की स्थिति 29 कमिश्नरियों से प्राप्त हुई जो नीचे तालिका में चित्रित है। ग्यारह कमिश्नरियों[13] को अभी यह सूचना भेजनी है।

तालिका संख्या 8

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा यूनिटों का कवरेज

वर्ष	` 3 करोड़ से अधिक शुल्क अदा करने वाली यूनिटें (पीएलए+सेनवेट)		` 3 करोड़ और 1 करोड़ के बीच शुल्क अदा करने वाली यूनिटें (पीएलए+सेनवेट)		` 50 लाख और ` 1 करोड़ के बीच शुल्क अदा करने वाले यूनिटें (पीएलए+सेनवेट)		` 50 लाख से कम शुल्क अदा करने वाली यूनिटें (पीएलए +सनेवेट)	
	लेखापरीक्षा के लिए बकाया यूनिटों की संख्या	कवर की गई यूनिटें	लेखापरीक्षा के लिए बकाया यूनिटों की संख्या	कवर की गई यूनिटों की संख्या	लेखापरीक्षा के लिए बकाया यूनिटों की संक्ष्या	कवर की गई यूनिटों की संख्या	लेखापरीक्षा के लिए बकाया यूनिटों कीं संख्या	कवर की गई यूनिटों की संख्या
2010-11	416	401	147	149	101	109	216	239
2011-12	559	537	219	206	121	116	202	175
2012-13	762	709	199	171	121	109	212	163

स्रोत: कमिश्नरियों द्वारा भेजे गए आँकडे; श्रेणियां वार्षिक शुल्क भुगतान पर आधरित हैं।

हमने कमिश्नरियों के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के कार्य करने के संबंध में निम्नवत देखा:

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियम पुस्तक, 2008 के पैराग्राफ 12.3.1 और सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक 2011, के पैराग्राफ 9.5.1 के

[13] अहमदाबाद-II, बेंगलुरू-एलटीयू, चेन्न्ई-II, चेन्न्ई-एलटीयू, गाजियाबाद, मेरठ-I, मुंबई-एलटीयू, नागपुर, नासिक, नोएडा और वड़ोदरा-II

अनुसार लेखापरीक्षा निष्पादन के विभिन्न स्तरों की निगरानी के लिए निर्धारित फार्मेट में लेखापरीक्षा के लिए आयोजित यूनिटों का एक रजिस्टर रखा जाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखापरीक्षा ग्रुप के लिए आंबटित सभी यूनिटों की लेखापरीक्षा हो गई है और कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समय से जारी कर दिए गए हैं।

बेंगलुरू-एलटीयू कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर का रखरखाव किया परन्तु जनवरी 2010 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए इसमें प्रविष्टियां नहीं है। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर 2009 तक की अवधि के लिए रजिस्टर में लेखापरीक्षा सेल को आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (आईएआर) के प्रस्तुतीकरण की तारीख, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या, आईएआर जारी करने की तारीख, लेखा परीक्षा की वास्तविक तारीख से संबंधित प्रविष्टियाँ-समाविष्ट नहीं हैं। परिणामत: इन रजिस्टरों से यह मॉनीटरन करना संभव नहीं था कि क्या अनिवार्य यूनिटों की लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी (एलटीयू के लिए प्रत्येक यूनिट की लेखापरीक्षा दो वर्षों में एक बार की जानी है) और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समय से जारी किए गए थे। पुन: रजिस्टर को अद्यतन नहीं किया गया था तथा प्रविष्टयां केवल 2013-14 की प्रथम तिमाही की हुई थीं।

हमने यह जुलाई 2014 में बताया।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर का रखरखाव कम्प्यूटर में किया गया था और बाद में उसकी हार्ड कापी निर्धारित रजिस्टर में चिपका दी गई है।

(ii) इसके अलावा हमने देखा कि कमिश्नरियों द्वारा लेखापरीक्षा योजना और निष्पादन के लिए एसीईएस के लेखापरीक्षा मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

हमने यह जुलाई 2014 में बताया।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि यद्यपि एसीईएस के अन्तर्गत लेखापरीक्षा मॉड्यूल कार्य कर रहा था, इसमें कई अड़चनें हैं जिससे मॉड्यूल व्यावहारिक रूप से कार्ययोग्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, निर्धारितियों से प्राप्त

दस्तावेजों की हार्ड कापी भारी मात्रा वाले दस्तावेज है जिसके डिजिटाइज़ेशन के लिए अतिरिक्त स्टाफ अपेक्षित है।

(iii) नासिक कमिश्नरी के मै. महिन्द्रा उगीने स्टील कम्पनी लिमिटेड की ईए 2000 लेखापरीक्षा सितम्बर-अक्टूबर 2011 में की गई थी जिसमें अकटूबर 2010 से सितम्बर 2011 तक की अवधि शामिल थी। यह देखा गया कि पूँजीगत माल पर ` 3.60 लाख के अस्वीकार्य सेनवेट क्रेडिट के संबंध में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा टिप्पणी की गई थी। पैराग्राफ प्रस्तुत किए जाने के बाद सितम्बर 2011 में निर्धारिती द्वारा राशि अदा की गई थी। तदनुसार, लेखापरीक्षा पैराग्राफ का निपटान आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा किया गया था। तथापि, हमने देखा कि लेखापरीक्षा पैराग्राफ का निपटान ब्याज वसूली के बिना किया गया था। यद्यपि, इनपुट सेवाओं और कच्ची सामग्री पर अस्वीकार्य सेनवेट का लाभ लेने पर अन्य टिप्पणियों के संबंध में उसी निर्धारिती से ब्याज वसूल किया गया था।

हमने यह फरवरी 2014 में बताया।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा है।

2.4 अपवंचन-रोधी उपाय

कमिश्नरियों में निवारक और आसूचना कार्य 'प्रिवेटिंव इंटेलीन्जेंस ऑफीसर्स' नामक अधिकारियों को सौंपा गया है। सामान्यत: तीन से चार अधीक्षक और 20 से 25 निरीक्षक एक सहायक/उप आयुक्त के अधीन पदास्थापित हैं जो इन अधिकारियों के रोजाना के कार्य और क्रियाकलापों, निवारक एवं आसूचना कर्तव्यों दोनों का पर्यवेक्षण और निगरानी करता है। प्रिवेंटिव अधिकारियों के कार्य में आसूचना संग्रहण, मार्गस्थ जांच, फैक्ट्री, कार्यालय तथा आवास में तलाशी आयोजन, जांच और अन्य कार्य शामिल हैं।

लेखापरीक्षा चुनी गई कमिशनरियों द्वारा विशेषकर ऑटोमोटिव सेक्टर के संदर्भ में किए गए अपवंचन रोधी उपायों की दक्षता की जांच करना चाहा। हमारी पूछताछ के जवाब में राजकोट, बड़ोदरा-II और बेंगलुरू-I कमिश्नरियों ने

सूचित किया (जनवरी-फरवरी 2014) कि क्रमश: तीन, पांच और चार मामले अपवंचन रोधी विंग द्वारा 2010-13 अवधि के दौरान पंजीकृत किए गए थे और कारण बताओं नोटिस भी जारी किए गए थे। गुड़गांव कमिश्नरी ने सूचित किया (जून 2014) कि कमिश्नरी से प्राप्त संदर्भ के आधार पर आवश्यक जांच की गई थी और ` 1.09 करोड़ का सरकारी बकाया वसूल किया गया था। अन्य कमिश्नरियों ने 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान पंजीकृत मामलों की शून्य सूचना दी।

हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2014)।

2.5 आसूचना रिपोर्टों की सामूहिक शेयरिंग

कमिश्निरयों में प्रिवेटिन विंग के महत्वपूर्ण कार्य पूरी कमिश्नरी में अधिकारियों के निवारक आसूचना क्रियाकलापों का समन्वय, केन्दीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क की अन्य कमिश्नरियों, राजस्व आसूचना महा निदेशालय तथा सरकार के अनुषंगी विभागों के साथ उचित संम्पर्क का रखरखाव एवं कमिश्नरी मुख्यालय में अपवंचन रोधी क्रियाकलापों पर केन्द्रीकृत अभिलेख तैयार करना है।

गत तीन वर्षों में प्रिवेंटिव विंग के निष्पादन की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए हमनें अपने विभाग और अन्य विभागों से सूचना संग्रहण, सूचना की शेयरिंग आदि से संबंधित पहलुओं सहित कतिपय विवरण चाहा। हमारी पूछताछ के उत्तर में राजकोट, अहमदाबाद-II और गुड़गांव कमिश्नरियों ने सूचित किया (जनवरी और जुलाई 2014 के बीच) कि उन्होंने सीमा शुल्क विभाग, महानिदेशक राजस्व आसूचना (डीजीआरआई) आदि से सम्पर्क किया। तथापि, शेष कमिश्नरियों ने सूचित किया कि उनके द्वारा ऐसा निष्पादन नहीं किया गया।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2014)।

2.6 बकाया माँगे

किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर शुल्क के कम भुगतान और गैर भुगतान को धारा 11 ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी करने, बाद में इसके

न्यायनिर्णय और वसूली कार्यवाही द्वारा वसूल किया जाना है। कारण बताओं नोटिस जारी की अवधि की सीमा-सामान्य मामलों में एक वर्ष और कपट, सांठ-गांठ आदि के कारण कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण आदि के मामले में पांच वर्ष है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से मांग नोटिस का निर्णय पूर्ववर्ती मामले में छह महीने और अन्तरवर्ती मामले में एक वर्ष के अन्दर जहां ऐसा कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद संभव है करना अपेक्षित है।

31 मार्च 2014 को 17 कमिश्नरियों[14] द्वारा भेजी गई बकाया मांगो पर हमने डाटा को निम्नवत तालिकाबद्ध किया है:

तालिका संख्या 9

बकाया मांगो की स्थिति

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	**निणर्य में विलम्ब**	**मामलों की संख्या**	**राशि**
1.	5 वर्ष से अधिक	40	177.74
2.	3 और 5 वर्ष के बीच	42	9.77
3.	1 और 3 वर्ष के बीच	105	141.17
4.	1 वर्ष से कम	54	258.88

स्रोत: 17 कमिश्नरियों द्वारा प्रस्तुत आँकड़े।

लेखापरीक्षा ने देखा कि,

- 40 मामलों में ` 177.74 करोड़ के राजस्व पर न्यायनिर्णय पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित है।
- इंदौर कमिश्नरी में ` 199.78 करोड़ वाले 82 मामलों के न्यायनिर्णय लम्बित थे।
- दिल्ली-एलटीयू कमिश्नरी में ` 179.49 करोड़ वाले 30 मामलों के न्यायनिर्णय लम्बित थे।

उपर्युक्त टिप्पणी इंगित करती है कि निर्धारित-समायिकता होते हुए भी अधिकांश कमिश्नरियों में निर्णय में लम्बे विलम्ब के कई उदाहरण मौजूद है।

[14] बेंगलुरू-I, भोपाल, भुवनेश्वर-I, चेन्नई-IV, दिल्ली-एलटीयू, दिल्ली-I, हैदराबाद-I, हैदराबाद-IV, इंदोर, जयपुर-I, जमशेदपुर, मुंबई-एलटीयू, नोएडा, पुणे-I, राजकोट, वडोदरा-II और विशाखापतनम-II

2.7 नियमों में प्रावधान का अभाव

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(l) के अनुसार इनपुट सेवाओं में इनपुट की खरीद के संबंध में प्रयुक्त सेवाए और इनपुट अथवा पूंजीगत माल के आवक परिवहन अथवा हटाने आदि के स्थान तक जावक परिवहन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(1) में व्यवस्था है कि अंतिम उत्पाद का विनिर्माता अथवा उत्पादक या कर योग्य सेवा या प्रदाता अंतिम उत्पाद के विनिर्माता द्वारा प्राप्त इनपुट सेवा पर सेवा कर का क्रेडिट लेने के लिए अनुमत किया जाएगा। यद्यपि नियम 3(5) में इस खाते इनपुट अथवा हटाए गए पूंजीगत माल पर लिए गए क्रेडिट के विपर्यय के लिए प्रावधान है, इनपुट सेवाओं पर अदा किए गए सेवा कर के क्रेडिट के बराबर राशि के भुगतान की अपेक्षा वाले नियमों के अन्तर्गत तदनुरूपी प्रावधान नहीं है। इन सेवाओं में सीमाशुल्क गृह एजेंट की सेवाएं, क्लियरिंग और फारवर्डिंग एजेंट की सेवाएँ, इनपुट अथवा पूंजीगत माल आदि की खरीद परिवहन के लिए परिवहन के लाभ शामिल हो सकेंगे। ऐसे प्रावधान की अभाव के परिणामस्वरूप विनिर्माता को अनभिप्रेत लाभ होता है।

सत्रह कमिश्नरियों[15] में 44 मामलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारितियों ने इस नाते इनपुट की निकासी की थी और इनपुट पर उठाए गए सेनवेट क्रेडिट के लाभ का विपर्यय किया। तथापि, ` 87.37 करोड़ के इनपुट सेवाओं पर सेवा कर क्रेडिट के समानुपातिक मूल्य का विपयर्य सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 में उपयुक्त प्रावधान के अभाव के कारण नहीं किया। कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

2.7.1 वड़ोदरा-II कमिश्नरी में एक निर्धारिती मै. जनरल मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोटर वाहनों के विनिर्माण में लगा है। निर्धारिती ने 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान ` 168.45 करोड़ मूल्य के इनपुट (उसी रूप में) की निकासी की जो इनपुट की कुल खरीद का 5.48 और 19.02 प्रतिशत के बीच बनता था। निर्धारिती ने इन इनपुट पर लिए गए लाभ के सेनवेट क्रेडिट का विपर्पय किया। तथापि, हमने देखा कि इनपुट सेवाओं के

[15] अहमदाबाद-II, औरंगाबाद, चेन्नई-एसटी, दमन, गाजियाबाद, गुडंगांव, हैदराबाद-I जयपुर-I, मेरठ-I, मुंबई-एलटीयू, मुंबई-V, नागपुर, नासिक, नोएडा, पुणे-I, राजकोट और वडोदरा-II

सेनवेट क्रेडिट के विपर्यय के लिए उपयुक्त प्रावधान के अस्तित्व में न होने के कारण उसी अवधि के दौरान इनपुट सेवाओं पर लिए गए लाभ पर निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट का विपर्यय नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, विनिर्माता को ` 15.16 करोड़ का अनमिप्रेत लाभ हुआ।

हमने यह जनवरी 2014 में बताया।

हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2014)।

2.7.2 गुड़गांव कमिशनरी में मै. हीरो मोटोकोर्प लिमिटेड दो-पहिया और उसके पुर्जों के विनिर्माण में लगा है। निर्धारिती ने 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान उसी रूप में निकासी किए गए इनपुट पर ` 49.45 करोड़ के उत्पाद शुल्क और उस पर उपकर का विपर्यय किया। हमने देखा कि निर्धारिती ने कच्ची सामग्री की खरीद के समय लिए गए क्रेडिट लाभ के बराबर सेनवेट क्रेडिट का विपर्यय किया परन्तु कच्ची सामग्री की खरीद के समय लिए गए इनपुट सेवाओं के लाभ के सेनवेट क्रेडिट के समानुपातिक क्रेडिट का विपर्पय नहीं किया गया था। इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट के विपर्पय के लिए नियमों में उपयुक्त प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप विनिर्माता को 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के लिए ` 4.41 करोड़ का अनमिप्रेत लाभ मिला।

हमने यह मार्च 2014 में बताया।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि कुछ मामलों में इस निर्धारिती द्वारा तृतीय पक्ष को इनपुट की निकासी को छूट प्राप्त सेवा के रूप में माना गया था और निर्धारिती सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार-समानुपातिक सेनवेट क्रेडिट का विपर्पय कर रहा है।

हमने देखा कि मंत्रालय का उत्तर नियमों में बताई गई कमी के लिए विशिष्ट नहीं है।

सिफारिश संख्या 3

मंत्रालय उसी रूप में इनपुट/पूंजीगत माल की निकासी के समय इनपुट सेवाओं के समानुपातिक सेनवेट क्रेडिट के विपर्यय के लिए सेनवेट क्रेडिट नियम में प्रावधान समाविष्ट करें।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि मामला जांच के आधीन है और निर्णय यथासमय सूचित किया जाएगा।

21 अकटूबर 2014 को एग्जिट कान्फ्रेस के दौरान सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) सीबीईसी ने नोट दिया कि विपर्यय की अपेक्षा वाली इनपुट सेवाओं का प्रमात्रीकरण एक थकाऊ प्रक्रिया होगी और इस प्रकार अन्तर्विष्ट करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता।

2.8 पूर्व लेखापरीक्षा से बचने के लिए छूट दावों का विभाजन

सीबीईसी परिपत्र दिनांक 16 मई 2008 में परिकल्पित है कि सभी प्रतिदाय/छूट दावे जिसमें ` 5 लाख अथवा उससे अधिक की राशि अन्तर्ग्रस्त है, अधिकार क्षेत्रीय कमिश्नर के स्तर पर पूर्व-लेखापरीक्षा के अध्यधीन होनी चाहिए।

लुधियाना कमिश्नरी में मै. ओशो गियर्स एंड पिनियननस लिमिटेड और मै एम्सन गियर्स लिमिटेड की वर्ष 2012-13 के लिए छूट दावा फाइलों की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि इन निर्धारितियों ने एक दिन कुत्य कुल ` 33.95 लाख का छूट दावा पस्तुत किया था। प्रत्येक अलग दावा ` 5 लाख से कम था। हमने देखा कि इस तथ्य के बावजूद कि ये दावे एक ही लदान बिल के अन्तर्गत एक ही दिन निर्यातित माल के संबंध में इन्हें अलग दावों के रूप में फाइल करने के लिए अनुमत किया गया था। इन दावों को संबंधित मंडल द्वारा संस्वीकृत किया गया था। हमने देखा कि एक ही दिन दावा की गई कुल राशि को एकल दावा के रूप में विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पूर्व लेखापरीक्षा नहीं की गई।

पूर्व लेखापरीक्षा का परिहार न केवल बोर्ड के अनुदेशों के विपरीत है बल्कि छूट की अधिक अनुमति की संभावना बढ़ती है।

हमने यह जनवरी और मार्च 2014 में बताया।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि निर्धारितियों ने अपने माल की निकासी विभिन्न एआरई-1 और विभिन्न लदान बिलों के अन्तर्गत किया। माल भिन्न एआरई-1 के तहत निर्यात किया गया। इस तथ्य के होते हुए एआरई वार दूर दावा करने में को बध्यता नहीं है कि केवल एक अथवा अधिक लदान बिल हैं। उत्पाद शुल्क प्रयोजन के लिए एआरई-1 सुसंगत सांविधिक निर्यात दस्तावेज है।

सिफारिश संख्या 4

मंत्रालय एक ही तारीख को प्रस्तुत ऐसे सभी दावो (या एक निर्धारित अवधि के अन्दर) जहां छूट दावे का कुल मूल्य ` 5 लाख से अधिक होता है, की पूर्व लेखापरीक्षा के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम में एक प्रावधान समाविष्ट करने का विचार कर सकता है।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि मामला जांच के अधीन है।

21 अक्टूबर 2014 को एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) सीबीईसी ने सूचित किया कि सभी दृष्टांतों में जहां अन्तर्ग्रस्त जोखिम अधिक था, में परिपत्र के अनुसार पूर्व लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश पुन: दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑटोमोटिव सेक्टर उच्च जोखिम क्षेत्र के रूप में चिन्हित सेक्टर नहीं था।